

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0333 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 19/12/2025 18:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7A
3	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):

1. Day(दिन): सोमवार Date From (दिनांक से): 15/12/2025 Date To (दिनांक तक): 15/12/2025

Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:10 बजे Time To (समय तक): 17:47 बजे

(b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 19/12/2025 Time (समय): 18:00 बजे

(c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ): Entry No. (प्रविष्टि सं.): 001 Date & Time (दिनांक एवं समय): 19/12/2025 18:06:25 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):

1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH, 260 किमी Beat No. (बीट सं.): NOT APPLICABLE

(b) Address(पता): TILAK NAGAR ROAD, AHINSA CIRCLE KE PASS BHILWARA

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)

Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): RAKESH KUMAR

(b) Father's Name (पिता का नाम): RADHESHYAM

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1992

(d) Nationality(राष्ट्रियता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):

Date of Issue

(जारी करने की तिथि):

Place of Issue

(जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, पारपत्र, आधार कार्ड सं, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number
-------	---------	-----------

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	ATALA JI KA MOHALLA, RAJA JI KA KAREDA, KAREDA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	ATALA JI KA MOHALLA, RAJA JI KA KAREDA, KAREDA, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.):

Mobile (मोबाइल न.):

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	DR. PANKAJ CHHIPA		पिता:GOVERDHAN LAL CHHIPA	1. GAYATRINAGAR MALAULA ROAD, BHILWARA, RAJASTHAN, INDIA
2	DR.KULDEEP VISHNOI		पिता:RAMRAGHUNATH VISHNOI	1. R.T.O. OFFICE KE PICHE, MERTA, MERTA CITY, NAGAU, RAJASTHAN, IN

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
-----------------	-------------------------------------	------------------------------------	---------------------	--------------------------------

1	सिद्धे और मुद्रा	रुपये	11,00,000.00
---	------------------	-------	--------------

10. Total value of property stolen(In Rs/-) 11,00,000.00
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)):

11. Inquest Report / U.D. case No., If any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)
--------------------	--------------------------------------

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)

(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन इस प्रकार है कि दिनांक 15.12.2025 समय 11.10 ए.एम पर परिवारी श्री राकेश कुमार पुत्र राधेश्याम दात्या उम्र 33 साल निवासी अटला जी का मौहल्ला, राजाजी का करेडा, भीलवाडा हाल मैनेजर श्री सिद्धी विनायक हॉस्पिटल भीलवाडा ने ब्यूरो चौकी भीलवाडा द्वितीय पर उपस्थित होकर श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ब्यूरो भीलवाडा द्वितीय के नाम एक टाईपशुदा रिपोर्ट पेश की कि मैं वर्ष 2014 से उक्त हॉस्पिटल में बतौर मैनेजर कार्यरत हूँ। हमारे उक्त हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर दुष्यन्त शर्मा हैं। राज्य सरकार की आयुष्मान योजना के अन्तर्गत हमारे हॉस्पिटल में आयुष्मान कार्ड धारको का ईलाज किया जाता है तथा उनका ईलाज का जितना भी बिल बनता है उसका भुगतान हेतु मुख्यमन्त्री आयुष्मान आरोग्य योजना के पोर्टल पर राज्य सरकार की वेबसाईट के पोर्टल पर अपलोड किया जाता है तथा जिनका भुगतान हमारे हॉस्पिटल को National Insurance Agency Ltd 1/4NIAL) के द्वारा किया जाता है। जो भारत सरकार का उपक्रम है। दिनांक 13.12.2025 को मेरे Mobile नं पर डॉ पंकज कुमार छीपा का उसके Mobile नं से फोन आया व उसने मुझे बताया कि आपके श्री सिद्धिविनायक Hospital द्वारा उक्त योजना के तहत राज्य सरकार को भेजे गये बिलों में भारी अनियमितताये पायी गई है। जिस कारण आपके उक्त अस्पताल पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है और आपके अस्पताल को उक्त योजना से Depannel किया जा रहा है व आपके बिलों का भुगतान नहीं पायेगा और आप पर पैनल्टी लगेगी, इससे बचना चाहते हैं तो तुरन्त मुझ से आकर मिले व पैसे देकर Sattle कर दें व अपने मालिक से बात कर ले, जिस पर मैंने यह बात हमारे हॉस्पिटल मालिक डॉक्टर दुष्यन्त शर्मा को बतायी व उनके कहने पर मैं डॉ पंकज कुमार छीपा से दिनांक 14.12.2025 को मिलातो डॉ पंकज कुमार छीपा ने मुझे कहा कि तुम्हारे उक्त हॉस्पिटल पर मुख्यमन्त्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पोर्टल पर अपलोड किये गये बिलों में भारी अनियमितता है। जिस अनियमितता के संबध मे जुर्माना लगाया जा रहा है। जो करीबन 75 लाख का बनेगा व बिलों को भुगतान भी नहीं होगा व अस्पताल को Depannel कर दिया जायेगा तथा डॉ पंकज कुमार छीपा ने मुझे बताया कि आपके अस्पताल में बिल संबधी अनियमितताये पायी गई है। जिस कारण करीब 75.00 लाख रुपये की पैनल्टी बनी है। यदि आप मुझे व डॉ कुलदीप जो मेरे सीनियर हैं जयपुर बैठते हैं उनको 14.00 लाख रुपये देते हैं तो हम दोनों आपके हॉस्पिटल की पैनल्टी पूरी तरह माफ कर देगे व आपके बिलों का भुगतान भी अनियमितताये दूर कर दिया जायेगा। फिर मैंने यह बात वापस आकर हमारे हॉस्पिटल मालिक श्री दुष्यन्त शर्मा को बतायी तो उन्होंने कहा कि हमारे हॉस्पिटल का काम बिल्कुल सही व लिगल तथा सभी बिल नियमानुसार हैं। सभी नियमानुसार पूर्ण कर अपलोड किये गये हैं। फिर कल रविवार को दिनांक 14.12.2025 को मेरी डॉ पंकज कुमार छीपा से मोबाईल पर बात की थी। जिसकी मैंने रिकॉर्डिंग भी कर ली थी जिसका पैनड्राईन अभी पेश की रहा हूँ। बातचीत में उसने फाईनल 11.00 लाख रुपये रिश्त को लेकर केश सैटल करने हेतु कहा जिस पर मैंने यह बात हमारे हॉस्पिटल मालिक को बताई तो उन्होंने कहा कि हम रिश्त नहीं देगे तथा डॉ कुलदीप व स्वयं के नाम से रिश्त लेते हुए रंगे हाथो पकडवायेगे। फिर मुझे हमारे हॉस्पिटल मालिक ने कहा कि आप नियमानुसार कार्यवाही हेतु रिपोर्ट एसीबी में पेश करे। इस प्रकार मेरा निवेदन है कि हमारे उक्त हॉस्पिटल के बिल नियमानुसार होने के उपरान्त भी डॉ पंकज कुमार छीपा हमारे से स्वयं व डॉ कुलदीप जो जयपुर बैठते हैं के नाम से 11.00 लाख रुपये रिश्त नोटिस नहीं देने व अनियमितता सैटल करने व बिल पास करने की एंवज में रिश्त मांग रहे हैं एवं सी.एम.एच.ओ. भीलवाडा की तरफ से भी आपको कोई तखलीफ नहीं होगी, उनका भी काम मैं ही देखता हूँ। परिवारी ने प्रार्थना पत्र के साथ पैनड्राईव Sandisk कम्पनी 8 GB का प्रस्तुत किया जिसको सुना गया तो परिवारी द्वारा बताये गये उक्त तथ्यों की ताईद हुई। मेरी डॉ पंकज कुमार छीपा से कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है। हमारा कोई लेन देन व पुराना हिसाब शेष नहीं है हम रिश्त नहीं देना चाहते व कानूनी कार्यवाही चाहते हैं अतः रिपोर्ट पेश करता हूँ कानूनी कार्यवाही की जावें। जिस पर मन् निरीक्षक पुलिस ने परिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र परिवारी को पढकर सुनाई तो परिवारी ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों की ताईद की तथा उक्त रिपोर्ट पर अपने हस्ताक्षर होना बताया। परिवारी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं दरियास से मामला रिश्त राशि मांग का होकर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधन 2018) के अन्तर्गत आना प्रथम दृष्टिया दृष्टि गोचर होता है। समय 12.15 पी.एम पर कार्यालय के मालखाना में से श्री रामेश्वर लाल कानि 250 से डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय खाली नया मेमोरी कार्ड

मंगवाया/निकलवाया जाकर परिवादी को वॉयस रिकॉर्डर के संचालन की विधि समझाईश की गई। परिवादी को रिश्तत राशि मांग सत्यापन कराने हेतु बताया तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी डॉ पंकज के पास जाकर रिश्तत मांग सत्यापन करवा दूंगा। जिस पर कानि रामेश्वर लाल को परिवादी के साथ जाकर मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। समय 01.10 पी.एम पर श्री रामेश्वर कानि 250 मय परिवादी श्री राकेश कुमार हाजिर कार्यालय आये, श्री रामेश्वर लाल ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत करते हुए बताया कि आपके निर्देशानुसार मैं एसीबी कार्यालय भीलवाडा द्वितीय से परिवादी के साथ परिवादी कि कार से रवाना होकर केशव पोरवाल हॉस्पिटल के पास पहुंचे जहां पर परिवादी श्री राकेश कुमार को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड चालु कर सिपूद कर परिवादी को केशव पोरवाल हॉस्पिटल मे डॉ पंकज छीपा से रिश्तत राशि मांग वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु रवाना किया, मैं केशव हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हो गया करीब 09-10 मिनट बाद परिवादी श्री राकेश कुमार मेरे पास आया जिसने चालु डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड प्रस्तुत किया, जिसको मैंने लेकर बंद किया। परिवादी ने बताया कि मेरी वार्ता डॉ पंकज से हो चुकी है जो इस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड है। बाद फारिक रवाना हो हम कार्यालय आये। जिस पर परिवादी से पुछने पर परिवादी ने मन पुलिस निरीक्षक को बताया कि मैं व रामेश्वर जी यहां से रवाना होकर केशव हॉस्पिटल के पास पहुंचे जहां पर रामेश्वर लाल जी ने डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु कर मेरी कोट की जेब रखा, मैंने केशव हॉस्पिटल के मेन गेट से डॉ पंकज को फोन किया तो डॉ पंकज छीपा मुझे लेने के लिए बाहर गेट पर ही आ गये वहां से केन्टीन कि और लेकर गये जहां पर उन्होंने मेरे से 11 लाख की मांग कि और कहां कि हॉस्पिटल की जूमनि की कोई भी कार्यवाही नही होगी और कहां की हमसे बनाकर रखोगें तो आरजीएचएस अपने पास आने वाली है। जिस पर डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर को मय मेमोरी कार्ड को चालु कर सुना गया तो परिवादी श्री राकेश कुमार द्वारा बताये गये तथ्यों की ताईद हुई। डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड को मेरे पास सुरक्षित रखा गया। चुंकी डॉ पंकज द्वारा रिश्तत राशि आज ही लेना तय होने से ट्रैप कार्यवाही आज ही कि जानी है। परिवादी को रिश्तत राशि कि व्यवस्था कर शीघ्र कार्यालय में उपस्थित होने की हिदायत देकर रवाना किया गया। समय 01.20 पी.एम पर जरिये दुरभाष तलविदा श्री नेमीचंद सउनि व कानि0 पवन राव भ्र.नि.ब्यूरो भीलवाडा-प्रथम से कार्यवाही ईमदाद हेतु उपस्थित कार्यालय आये। समय 01.30 पी.एम पर चुंकि ट्रैप कार्यवाही का आयोजन किया जाना है, जिसमे दो स्वतन्त्र गवाह की आवश्यकता होने से अधीक्षण अभियन्ता ए.वी.वी.एन.एल भीलवाडा के नाम तहरीर दी जाकर श्री मधुसूदन सउनि को रवाना किया गया। समय 02.00 पी.एम पर श्री मधुसूदन सउनि मय दो स्वतन्त्र गवाह 1 श्री ओम प्रकाश वर्मा, मीटर टेस्टर एम.टी.आर. कार्यालय सहायक अभियन्ता एम.एस.टी. ए.वी.वी.एन.एल भीलवाडा 2. श्री गोरव कुमार चौहान, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय कार्मिक अधिकारी (प.व.स.) ए.वी.वी.एन.एल भीलवाडा लेकर हाजिर कार्यालय आया। उक्त दोनो गवाहान को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को पढाया गया पढकर व समझकर गवाह बनने की सहमति दी एवं परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर अपने-अपने हस्ताक्षर किये दोनो गवाहान को कार्यालय में बिठाया गया। समय 02.30 पी.एम पर परिवादी श्री राकेश कुमार उपस्थित कार्यालय आया। जिसने बताया कि रिश्तत राशि 11.00 लाख रुपये की व्यवस्था पूरी नही होने से 2.00 लाख रुपये भारतीय चलन मुद्रा के एवं 9.00 लाख के डमी नोट लेकर आया हुं। परिवादी को अपने कक्ष में बिठाया। समय 03.07 पी.एम पर परिवादी श्री राकेश कुमार के मोबाईल नम्बर पर डॉ पंकज छीपा के मोबाईल नम्बर

से कॉल आया व 11.00 लाख रुपये की मांग कर शीघ्र लेकर आने के लिए कहां उक्त वार्ता को परिवादी के मोबाईल के स्पीकर को ऑन कर कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया गया। समय 03.30 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा कार्यालय मे उपस्थित परिवादी श्री राकेश कुमार दात्यों को आरोपी को रिश्तत में दी जाने वाली राशि पेश करने हेतु कहने पर परिवादी श्री राकेश कुमार ने अपने पास से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रुपये के 400 नोट कुल 2,00,000/- रुपये व 9,00,000, लाख के भारतीय मनोरंजन बैंक के डमी नोट प्रस्तुत किये, भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के नोटों पर मुद्रित नम्बरों को फर्द में अंकित करवाया गया, जिनमें से अक्षरे दो लाख रुपये भारतीय चलन मुद्रा के नम्बर निम्न प्रकार है 1. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273001 2. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273002 3. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273003 4. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273004 5. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273005 6. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273006 7. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273007 8. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273008 9. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273009 10. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273010 11. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273011 12. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273012 13. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273013 14. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273014 15. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273015 16. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273016 17. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273017 18. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273018 19. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273019 20. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273020 21. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273021 22. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273022 23. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273023 24. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273024 25. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273025 26. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273026 27. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273027 28. 500 रुपये का एक नोट नम्बर

5

[illegible]

3HK 273446 247. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273447 248. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273448

का एक नोट नम्बर 3HK 273554 355. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273555 356. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273556 357. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273557 358. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273558 359. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273559 360. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273560 361. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273561 362. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273562 363. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273563 364. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273564 365. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273565 366. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273566 367. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273567 368. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273568 369. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273569 370. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273570 371. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273571 372. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273572 373. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273573 374. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273574 375. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273575 376. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273576 377. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273577 378. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273578 379. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273579 380. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273580 381. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273581 382. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273582 383. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273583 384. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273584 385. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273585 386. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273586 387. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273587 388. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273588 389. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273589 390. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273590 391. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273591 392. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273592 393. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273593 394. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273594 395. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273595 396. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273596 397. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273597 398. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273598 399. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273599 400. 500 रुपये का एक नोट नम्बर 3HK 273600 तत्पश्चात कार्यालय के मालखाना से फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी को श्री विनय प्रताप सिंह कनिष्ठ सहायक से निकलवाई जाकर 500-500 के 400 नोटों को अखबार पर रखवाकर नोटों के दोनों ओर श्री विनय प्रताप सिंह कनिष्ठ सहायक से फिनोल्फथलीन पाउडर लगवाया गया। उक्त फिनोल्फथलीन पाउडर लगे नोटों को एवं डमी नोटों को एक रेगजिन कपड़े की थैली में रखकर परिवारी को सुपुर्द किये गये। तत्पश्चात श्री रामेश्वर लाल कानि. से एक साफ प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरवाकर मंगवाया जाकर इसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरियान को दिखाया गया तो हाजरियान ने घोल का रंग अपरिवर्तित होना स्वीकार किया। इस घोल में श्री विनय प्रताप कनिष्ठ सहायक की अंगुलियों, अंगूठे को डूबोकर धुलवाई गई तो धोवण का रंग गुलाबी हो गया। इस प्रकार मन् निरीक्षक पुलिस ने हाजरियान के समक्ष फिनोल्फथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पाउडर की रासायनिक प्रतिक्रिया प्रदर्शित कराकर उसके मन्तव्य से अवगत कराते हुए बताया कि आरोपी द्वारा परिवारी से रिश्वत राशि ग्रहण करने के पश्चात उक्त प्रक्रिया अपनाई जायेगी। जिससे यह प्रमाणित होगा कि आरोपी ने रिश्वती राशि अपने हाथों से ग्रहण की है। फिनोल्फथलीन पाउडर की शीशी को श्री विनय प्रताप कनिष्ठ सहायक से कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाई गई। उक्त गुलाबी घोल को श्री विनय प्रताप कनिष्ठ सहायक से कार्यालय से बाहर फिकवाया जाकर तथा फिनोल्फथलीन पाउडर लगाने में काम में लिये गये अखबार को एवं एक पारदर्शी डिस्पोजल को जलाकर नष्ट करवाया गया। परिवारी को हिदायत दी गई कि वह आरोपी के द्वारा रिश्वत राशि मांगने पर ही उसे देवे तथा रिश्वत राशि देने से पूर्व या देने के बाद उससे हाथ नहीं मिलावे तथा न ही उसके शरीर के किसी अंग को छुए, यदि अभिवादन की आवश्यकता हो तो हाथ जोड़कर अभिवादन करे। परिवारी को यह भी हिदायत दी गई कि रिश्वत राशि देते समय जल्दबाजी व घबराहट का प्रदर्शन न करे तथा रिश्वत राशि देने के बाद अपने सिर पर हाथ फेरकर निर्धारित ईशारा करे या मन् निरीक्षक पुलिस को मोबाईल पर कॉल कर रिश्वत राशि देने बाबत निर्धारित ईशारा करे। यह निर्धारित ईशारा ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को समझाया गया। ट्रेप कार्यवाही में प्रयुक्त होने वाली कांच की शिशियाँ, ढक्कन चम्मच इत्यादि को श्री रामेश्वर लाल कानि. से साफ पानी व साबुन से दो बार धुलवाकर ट्रेप बाक्स में रखवाये गये। गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों को यह भी हिदायत दी गई कि यथासंभव अपनी-अपनी उपस्थिति को छिपाते हुए परिवारी तथा आरोपी के मध्य रिश्वती राशि के लेन-देन को देखने व सुनने का प्रयास करे। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। फर्द दृष्टान्त फिनोल्फथलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 05.15 पी.एम पर सरकारी नया मेमारी कार्ड 64 जीबी का मालखाने से निकलवाकर श्री पवनराव कानि को सुपुर्द कर हिदायत दी गई कि बीएनएसएस के नवीन प्रावधानों के अनुसार मौके की विडियोग्राफी करवायी जाना आवश्यक होने तथा कार्यालय में सरकारी विडियो केमरा नही होने के कारण जरिये मोबाईल पेश सुदा मेमोरी कार्ड में विडियोग्राफी कर पेश करने की हिदायत की गई। तत्पश्चात मन् निरीक्षक पुलिस नरपत सिंह, श्री नेमीचंद सउनि, श्री मधुसूदन स.उ.नि. मय दोनों स्वतंत्र गवाह श्री ओम प्रकाश वर्मा, गोरव चौहान, प्रेमराज कानि,

मय लैपटॉप प्रिन्टर, ट्रैप बॉक्स व आवश्यक लेखन सामग्री के सरकारी वाहन बोलेरो मय विनोद कुमार चालक के तथा श्री शिवराज कानि. व कानि. पवन राव, श्री भुपेन्द्र कुमार कानि. को मोटर साईकिल से तथा रामेश्वर लाल कानि को डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय नया मेमोरी कार्ड सिपूद कर परिवादी श्री राकेश कुमार के साथ परिवादी की कार से अहिंसा सर्कल भीलवाडा की तरफ रवाना कर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के ट्रैप कार्यवाही हेतु अहिंसा सर्कल भीलवाडा रवाना हुआ। समय 05.35 पी.एम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के उपरोक्त फिगरा का रवानाशुदा अहिंसा सर्कल भीलवाडा के पास पहुँचे। वाहनो को साईड में सुरक्षित खड़ा किया गया। कानि रामेश्वर लाल कानि से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मेमोरी कार्ड के चालुकर लेन देन वार्ता को रिकॉर्ड करने हेतु परिवादी को सिपूद कर परिवादी को उसकी कार में कानि. श्री रामेश्वर लाल को बैठाकर अहिंसा सर्कल के आगे तिलक नगर रोड की तरफ रवाना किया जाकर उनके पिछे-पिछे कानि0 श्री शिवराज, श्री पवन राव को भी रवाना किया जाकर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहीयान के परिवादी के निर्धारित ईशारे का ईन्तजार में मुकिम हुए। समय 05.47 पी.एम. पर परिवादी ने अपनी कार से नीचे उतर कर आरोपी द्वारा रिश्त राशि ग्रहण करने का निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ गुमाकर किया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रैप पार्टी सदस्य मय स्वतन्त्र गवाह को हमरा लेकर परिवादी की गाडी के पास पहुँचे, मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर चालु हालात में प्राप्त कर बंद किया। इसके पश्चात परिवादी ने अपनी कार की आगे की सीट पर बैठे व्यक्ति की और ईशारा कर बताया कि यही डॉ पंकज छीपा, मेडीकल आफिसर केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाडा है। जिन्होंने अभी-अभी मुझ से श्री सिद्धी विनायक हॉस्पिटल भीलवाडा के राज्य सरकार की आयुष्मान योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड धारको के ईलाज होने के पश्चात जो बिल उक्त योजना के तहत राज्य सरकार को भेजे गये थे, उन बिलों में पायी गई अनियमितताये को दूर करने एवं पैनल्टी पूरी तरह माफ करने तथा हमारे उक्त हॉस्पिटल को Depannel नहीं करने की एंवज में स्वयं के लिए तथा स्वयं के साथी डॉ कुलदीप के लिए 11 लाख रुपये रिश्त की मांग की थी, मांग के अनुसरण में डॉ पंकज छीपा ने मेरे से स्वयं व डॉ कुलदीप के लिए थैली में रखे 11.00 लाख रुपये मेरे से अभी प्राप्त किये हैं। जिनमें से भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के कुल 400 नोट कुल राशि 2.00 लाख रुपये तथा 9.00 लाख के डमी नोट जिस पर मनोरजन बैंक ऑफ इण्डिया पांच सौ नंबर लिखा होकर महात्मा गांधी के चित्र बने हुए के कुल 18 बंडल प्रत्येक बंडल में 100-100 डमी नोट प्राप्त किये हैं। जिनमें से कुछ भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रुपये के नोट निकाल कर गाडी के डेस्कबोर्ड के अन्दर कागजों पर रखे दिये हैं व शेष नोटों को उसी थैली में रखकर उनको गाडी की पीछे की सीट पर रख दिये हैं। वगैरा बताया तत्पश्चात मन् पुलिस निरीक्षक ने स्वयं का व हमराहीयान का परिचय देकर आने के मंतव्य से बताया व आरोपी को गाडी से नीचे उतार कर उसका परिचय पूछा तो उसने अपना नाम डॉ पंकज छीपा पुत्र श्री गोवर्धन लाल छीपा उम्र 30 साल निवासी आमेसर पुलिस थाना शम्भुगढ़, जिला भीलवाडा हाल निवास गायत्रीनगर, मालौला रोड भीलवाडा हाल मेडीकल ऑफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाडा होना बताया। इस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी की और ईशारा कर पूछा कि आपने इनसे अभी-अभी श्री सिद्धी विनायक हॉस्पिटल भीलवाडा के राज्य सरकार की आयुष्मान योजना के अन्तर्गत आयुष्मान कार्ड धारको के ईलाज होने के पश्चात जो बिल उक्त योजना के तहत राज्य सरकार को भेजे गये बिलों में पायी गई अनियमितताये को दूर करने एवं पैनल्टी पूरी तरह माफ करने की एंवज में स्वयं के लिए तथा अपने साथी डॉ कुलदीप के लिए 11 लाख रुपये रिश्त की मांग की थी एंव रुपये 11.00 लाख परिवादी से अभी-अभी प्राप्त किये हैं वो कहा है तो डॉ पंकज छीपा ने बताया मैंने उपरोक्त राशि मेरे साथी डॉ कुलदीप के कहने पर तथा उसके द्वारा मेरे मोबाईल बॉटसअप पर नोटिस भेजा गया था जिसे मैंने श्री सिद्धी विनायक हॉस्पिटल भीलवाडा के मैनेजर श्री राकेश को दिखा कर उनसे 11.00 लाख रुपये बतौर रिश्त देने हेतु मांग की थी। जो मुझे राकेश ने अभी-अभी दिये हैं। जिसमें से मैंने अपना हिस्सा निकाल कर कार के डेस्कबोर्ड में 500-500 रुपये के नोट रख दिये हैं। वगैरा बताया। जिस पर आरोपी डॉ पंकज छीपा द्वारा परिवादी से रिश्त राशि ग्रहण करने बाबत उचित सन्देश होना पाया जाने से परिवादी की गाडी की दोनों स्वतन्त्र गवाहान से तलाशी लिवायी गई तो गाडी के डेस्कबोर्ड के अन्दर कागजों पर कुछ नोट रखे हुए थे। जिनको गवाह श्री गौरव चौहान से उठावाकर गिनती करवायी तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रुपये के कुल 129 नोट कुल 64,500 रुपये होना बताया जिसे स्वयं के पास सुरक्षित रखवाये व गाडी की पीछे की सीट पर रेगजीन की थैली में रखे शेष भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रुपये के कुल 271 नोट कुल राशि 1,35,500 रुपये तथा डमी नोट जिस पर मनोरजन बैंक ऑफ इण्डिया पांच सौ नंबर लिखा होकर महात्मा गांधी के चित्र बने हुए के कुल 18 बंडल प्रत्येक बंडल में 100-100 डमी नोट कुल 9.00 लाख डमी नोट को गवाह श्री गौरव चौहान से उठावाकर स्वयं के पास सुरक्षित रखवाये। मौके पर आरोपी डॉ पंकज छीपा के मोबाईल से डॉ कुलदीप के मोबाईल नंबर पर फोन लगा कर स्पीकर ऑन कर वार्ता डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड की गई तो "आरोपी डॉ पंकज छीपा बोलता "मैं कह रहा हूँ पैमेन्ट आ गया है " आरोपी डॉ कुलदीप "आ गया क्या" आरोपी डॉ पंकज छीपा "हूँ " आरोपी डॉ कुलदीप "चलो ठीक है मैं आगे बोल देता हूँ" हा अब क्या करना है इनका" आरोपी डॉ कुलदीप "अब मैं आपको बताता हूँ आप कल या परसो आ जाओ" वगैरा बातचीत होना पाया गया व आरोपी ने बताया कि डॉ कुलदीप मेरा साथी है जो HITPA में DMO (District Medical Officer) के पद पर है तथा यह NIAL के अधीन कार्यरत है एंव डॉ कुलदीप द्वारा ही इस तरीके से प्राईवेट हॉस्पिटलों से

अवैध वसूली करके उपर तक पहुँचाता है। जिसकी जानकारी डॉ कुलदीप को ही है। डॉ कुलदीप के कहने से मैं अवैध वसूली के रूपये लेता हूँ। चूँकि घटनास्थल आम रास्ता हो लोगो की आवाजाही होने से एवं बैठकर कार्यवाही करने की व्यवस्था नहीं होने से आरोपी डॉ पंकज छीपा के दाहिना हाथ को कलाई से उपर से श्री नेमीचन्द स.उ.नि. व बांया हाथ कलाई के उपर से प्रेमराज कानि से पकडा कर सरकारी वाहन बोलेरो की बीच की सीट पर बिठाकर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान मय परिवादी मय प्राईवेट वाहन से घटनास्थल से रवाना एसीबी कार्यालय भीलवाडा के लिये हो एसीबी कार्यालय भीलवाडा-द्वितीय पहुँचा। इसके पश्चात कार्यालय कक्ष मे कानि रामेश्वर लाल से साफ पानी मंगवाया गया तथा प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास में साफ पानी भरवाकर इनमें एक-एक चम्मच सोडियम कॉर्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया जाकर हाजरीन को दिखाया तो घोल का रंग अपरिवर्तित रहा। जिसे उपस्थित गवाहान ने रंगहीन होना स्वीकार किया। उक्त प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी डॉ पंकज छीपा, मेडीकल ऑफिसर के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को घोल में डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ। जिसे हाजरीन को दिखाने पर गुलाबी रंग होना स्वीकार किया। जिसे कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क RH-1 व RH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसी प्रकार दूसरे प्लास्टिक के डिस्पोजल पारदर्शी गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी डॉ पंकज छीपा, मेडीकल ऑफिसर के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगुठे को डुबोकर धुलवाई गई तो घोल का रंग गुलाबी हुआ, जिसे हाजरीन को दिखाने पर गुलाबी होना स्वीकार किया। उक्त घोल को कांच की दो साफ शिशियों में आधा-आधा भरवाया जाकर सिलचिट बंद कराये जाकर मार्क LH-1 व LH-2 अंकित करा चिट व कपड़े पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। इसके पश्चात गवाह श्री गौरव शर्मा के पास सुरक्षित रखी रिश्तत राशि मे से कार के डेस्क बोर्ड मे से बरामदशुदा राशि के नोटो के नंबरो का मिलान फर्द पेशकशी नोट से दोनो गवाहान से करवाया गया तो भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 129 नोट नंबरी 3HK 273072 से 3HK 273100 एवं 3HK 273401 से 3HK 273500 कुल 64500 रूपये होना बताया एवं रेगजीन की थैली मे रखे हुए भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 रूपये के कुल 271 नोट नंबरी 3HK 273501 से 3HK 273600 एवं 3HK 273301 से 3HK 273400 कुल 1,35,000 रूपये कुल योग 2.00 लाख रूपये होना बताया। डमी नोट जिस पर मनोरजन बैंक ऑफ इण्डिया पांच सौ नंबर लिखा होकर महात्मा गांधी के चित्र बने हुए के कुल 18 बंडल प्रत्येक बंडल मे 100-100 डमी नोट कुल 9.00 लाख डमी नोट होना बताया। भारतीय चलन मुद्रा के 500-500 के कुल 400 नोट राशि 2.00 लाख रूपये को एक पीले रंग के लिफाफे मे रखकर लिफाफे को सफेद कपड़े की थैली मे रखकर सिल्ड चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर कर मार्क N अंकित किया गया, तथा डमी नोट जिस पर मनोरजन बैंक ऑफ इण्डिया पांच सौ नंबर लिखा होकर महात्मा गांधी के चित्र बने हुए के कुल 18 बंडल प्रत्येक बंडल मे 100-100 डमी नोट कुल 9.00 लाख डमी नोटो को एक पीले रंग के लिफाफे मे रखकर लिफाफे को सफेद कपड़े की थैली मे रखकर सिल्ड चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क D अंकित किया गया। कब्जे एसीबी लिया गया। इसके पश्चात रिश्तत राशि रखी हुई रेगजीन की सफेद थैली जिस पर अंग्रेजी मे Shree Shayam Creations लिखा होकर मोर पंख का चित्र बना हुआ है के उपर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा कर एक सफेद कपड़े की थैली मे रखकर सिल्ड चिट कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवा मार्क T अंकित किया गया। आरोपी डॉ पंकज छीपा से परिवादी के कार्य से संबंधित दस्तावेजो के बारे मे पूछने पर बताया कि डॉ कुलदीप ने मेरे को श्री सिद्धि विनायक हॉस्पिटल भीलवाडा द्वारा आयुष्मान योजना के अन्तर्गत ईलाज के पश्चात जो बिल उक्त योजना के तहत राज्य सरकार को भेजे गये थे व उन बिलो में पायी गई अनियमितताये का नोटिस मेरे मोबाईल पर वॉट्सअप के द्वारा भेजा गया था। जो मेरे मोबाईल मे है। जिस पर आरोपी के मोबाईल में वॉट्सअप मैसेंजर पर उसके साथी डॉ कुलदीप के मोबाईल नंबर

Dr. Kuldeep Vishnoi HITPA Ajmer Bhilwara के नाम से सेव होना पाया गया तथा वॉट्सअप चैटिंग मे Chief Executive Officer Rajasthan, State Health Assurance Agency Jaipur के नाम से अंग्रेजी मे डाफ्ट लेटर द्वारा रिजनल मैनेजर के द्वारा दिनांक 10.12.2025 को लिखा हुआ पी.डी.एफ. मे सेव पाया गया। जिसके प्रिन्ट निकाल कर संबंधित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली किये गये। आरोपी के मोबाईल के परीक्षण हेतु जरिये फर्द पृथक से जप्त किया जायेगा। परिवादी द्वारा लेन देन वार्ता का प्रस्तुत शुदा डी.वी.आर. मे लगे मेमोरी कार्ड मे दर्ज वार्ता को गवाहान के समक्ष सुना गया तो आरोपी द्वारा रिश्तत राशि लेने की ताईद हुई। उक्त वार्ता की ट्रान्सक्रिप्ट एवं पैनड्राईव अकब से तैयार करवायी जायेगी। उक्त फर्द बरामदगी टंकण समय 08.00 पी.एम. से प्रारंभ होकर समय 10.00 पी.एम. पर सम्पन्न होकर ए.सी.बी. कार्यालय के सरकारी लेपटाप पर श्री प्रेमराज कानि 225 से तैयार करवायी गई। उक्त कार्यवाही की श्री पवन कुमार कानि 417 से विडियोग्राफी बीएनएसएस की उपबंधित प्रावधानो के अनुक्रम करवायी गई, कार्यवाही के दौरान प्रकाश की उचित व्यवस्था रही। समय 10.30. पी.एम पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष आरोपी डॉ पंकज छीपा पुत्र गोवर्धन लाल छीपा उम्र 30 साल निवासी आमेसर पुलिस थाना शम्भुगढ जिला भीलवाडा हाल निवास गायत्री नगर मालोला रोड भीलवाडा थाना सुभाषनगर भीलवाडा हाल मेडिकल ऑफिसर केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाडा को जरिए फर्द गिरफ्तार किया गया। समय 10.45 पी.एम. पर रिश्तत राशि मांग सत्यापन प्रथम वार्ता दिनांक 15.12.2025 की रूबरू परिवादी श्री राकेश कुमार व आरोपी डॉ पंकज छीपा के मध्य केशव पोरवाल हॉस्पिटल पर हुई रिश्तत राशि मांग

सत्यापन की प्रथम वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉइस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री शिवराज कानि की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 11.25 पी.एम. पर दिनांक 15.12.2025 को रिश्त राशि मांग सत्यापन वक्त परिवादी श्री राकेश कुमार व आरोपी डॉ पंकज छीपा के मध्य मोबाईल पर रिश्त राशि मांग सत्यापन की द्वितीय वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉइस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री शिवराज कानि की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्त राशि मांग सत्यापन के मेमोरी कार्ड की हैशवैल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। दिनांक 16.12.2025 समय 12.05 ए.एम. पर रिश्त राशि लेन देन वार्ता दिनांक 15.12.2025 को रूबरू परिवादी श्री राकेश कुमार व आरोपी डॉ पंकज छीपा के मध्य हुई रिश्त राशि लेन देन वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। वॉइस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री शिवराज कानि, की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 12.35 ए.एम. पर दिनांक 15.12.2025 को समय 05.55 पी.एम. पर रिश्त राशि ग्रहण करने के पश्चात आरोपी डॉ पंकज छीपा के मोबाईल नम्बर से संदिग्ध आरोपी डॉ कुलदीप के मोबाईल नम्बर पर रिश्त राशि प्राप्त कर लेने के संबंध में आरोपी डॉ पंकज छीपा के मोबाईल के स्पीकर को ऑन कर वार्ता को रिकॉर्ड की गयी जो ब्यूरो के डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज है। वॉइस रिकॉर्डर को चालुकर गवाहान व परिवादी के समक्ष लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुन श्री शिवराज कानि, की मदद से फर्द ट्रांस्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। रिश्त राशि लेन देन के मेमोरी कार्ड की हैशवैल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। समय 02.05 ए.एम. पर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाह को प्रातः 09.00 ए.एम. पर कार्यालय पर उपस्थित होने की हिदायत कर रूकसत किया। समय 10.20 ए.एम. पर परिवादी व दोनो स्वतंत्र गवाह कार्यालय पर उपस्थित आये। समय 11.10 ए.एम. पर रिश्त राशि मांग सत्यापन वक्त दिनांक 15.12.2025 रूबरू प्रथम वार्ता व मोबाईल पर द्वितीय वार्ता परिवादी श्री राकेश कुमार व आरोपी डॉ पंकज छीपा, मेडीकल ऑफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाडा के मध्य हुई वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। उक्त मेमोरी कार्ड में दर्ज प्रथम व द्वितीय वार्ता के कानि शिवराज से चार पेनड्राईव SanDisk कम्पनी 64 GB के तैयार करवाये गये। तीन पेनड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क A-1, A-2, A-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे में रखकर मार्क A-4 अंकित किया गया। समय 11.45 ए.एम. पर दिनांक 15.12.2025 को रिश्त राशि लेन देन वक्त रूबरू प्रथम वार्ता परिवादी श्री राकेश कुमार व आरोपी डॉ पंकज छीपा, मेडीकल ऑफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाडा के मध्य हुई एवं आरोपी डॉ पंकज छीपा की डॉ कुलदीप से मोबाईल पर करवाई गई द्वितीय वार्ता जो ब्यूरो के उक्त वॉइस रिकॉर्डर में लगे मेमोरी कार्ड में दर्ज हैं। उक्त मेमोरी कार्ड में दर्ज वार्ता के चार पेनड्राईव Sandisk कम्पनी 64 Gb के कानि शिवराज तैयार करवाये गये। तीन पेनड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क B-1, B-2, B-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे में रखकर मार्क B-4 अंकित किया गया। समय 12.15 पी.एम. पर दिनांक 15.12.2025 को रिश्त राशि मांग सत्यापन वक्त परिवादी श्री राकेश कुमार व आरोपी डॉ पंकज छीपा के मध्य रूबरू प्रथम वार्ता एवं मोबाईल पर हुई द्वितीय वार्ता का मूल मेमोरी कार्ड Sandisk कम्पनी 64 Gb एवं दिनांक 15.12.2025 को परिवादी श्री राकेश कुमार व आरोपी डॉ पंकज छीपा के मध्य हुई रूबरू वार्ता एवं आरोपी डॉ पंकज छीपा की डॉ कुलदीप से रिश्त राशि लेन देन के बाद मोबाईल पर हुई वार्ताओं का मूल मेमोरी कार्ड Sandisk कम्पनी 64 Gb के कुल नंग 2 को मेमोरी कार्ड के अलग-अलग कंवर में रखकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराकर एक सफेद कपड़े की थैली में रखकर मार्क M अंकित कर सिल चिटकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवा कब्जे ब्यूरो लिया गया। फर्द तैयार कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। समय 01.15 पी.एम पर बीएनएसएस की धारा 105 में अंकित प्रावधानों के अनुसार ट्रेप कार्यवाही के दौरान मौके पर श्री पवन राव कानि से विडियोग्राफी करवायी गयी थी। श्री पवनराव कानि की मदद से सरकारी लेपटोप पर कनेक्ट कर उक्त विडियो के चार पेनड्राईव तैयार करवाये गये। तीन पेनड्राईव को कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क C-1, C-2, C-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पेनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे में रखकर मार्क C-4 अंकित किया गया। विडियोग्राफी के मूल मेमोरी कार्ड की हैशवैल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। समय 02.50 पी.एम पर आरोपी डॉ पंकज छीपा, मेडीकल ऑफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाडा की जामा तलाशी में मिला एक मोबाईल फोन I Phone-14 को बतौर वजह सबूत जप्त कर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिल चिट कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गये। समय 03.10 पी.एम. पर ट्रेप कार्यवाही विरुद्ध डॉ पंकज छीपा, मेडीकल ऑफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाडा व अन्य में श्री पवन राव कानि से दौराने सम्पूर्ण ट्रेप कार्यवाही की करवाई गई विडियोग्राफी का मूल मेमोरी कार्ड Sandisk कम्पनी 64 जीबी का मेमोरी

कार्ड के कागज के कंवर में रख कर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सिल चिट किया जाकर मार्क M-1 अंकित कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर कराये गये। समय 03.30 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष परिवादी ने पूर्व में प्रार्थना पत्र के साथ एक पैनड्राईव (SanDisk कम्पनी 8 Gb) का पेश किया था जिसको दोनो गवाहान के समक्ष सुना गया। उक्त वार्ता परिवादी ने दिनांक 14.12.2025 को परिवादी ने अपने मोबाईल नंबर से आरोपी डॉ पंकज छीपा के मोबाईल नंबर

पर वार्ता की जो उक्त पैनड्राईव में मौजूद है उक्त पैनड्राईव को लैपटॉप से कनेक्ट कर शब्द व शब्द सुनकर श्री शिवराज कानि की मदद से फर्द ट्रान्स्क्रिप्ट तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। उक्त वार्ता के पैनड्राईव की हैशवैल्यू निकलवायी जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल रनिंग नोट की गई। उक्त वार्ता के चार पैनड्राईव तैयार किये जाकर तीन पैनड्राईव को कपड़े की थैली में रखकर सिलचिट कर मार्क S-1, S-2, S-3 अंकित किया जाकर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाये गये। एक पैनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे में रखकर मार्क S-4 अंकित किया गया। मूल पैनड्राईव (परिवादी द्वारा प्रस्तुत) को एक सफेद कपड़े की थैली में रख सिल चिट कर संबन्धित के हस्ताक्षर करवा मार्क S अंकित किया गया। समय 04.00 पी.एम. पर स्वतन्त्र गवाहान व परिवादी के समक्ष दौराने ट्रेप कार्यवाही उपयोग में ली गई ब्रास-सील का अवलोकन करवाया जाकर फर्द पर नमूना सील अंकित कर ब्रास सील को कार्यालय परिसर के बाहर नष्ट की गई। फर्द नमूना व नाशानी नमूना सील मुर्तिब की जाकर हाजरिन को पढ़ कर सुनाई गयी, सुन-समझ कर व पढ़कर सही मान अपने-अपने हस्ताक्षर किये। समय 04.15 पी.एम पर जब्तशुदा सिलडचिट रिश्त राशि 2,00,000/- रुपये भारतीय चलन मुद्रा के मार्क N एवं 9,00,000/- रुपये डमी नोट मार्क D आरोपी डॉ पंकज छीपा को रिश्त राशि रखकर रेगजिन कपड़े की थैली सिलचिट मार्क T आरोपी डॉ पंकज छीपा के दाहिने व बायें हाथ के धोवन की सिलड चिट शुदा शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2, सिलडचिट शुदा, 12 पैन ड्राईव सफेद पृथक-पृथक कपड़े की थैली में सिलडचिट मार्क A-1, A-2, A-3, B-1 B-2, B-3, C-1, C-2, C-3, S-1, S-2, S-3 व 04 पैनड्राईव अनुसंधान अधिकारी के लिये कागज के लिफाफे में रखकर चिट यंद पैन ड्राईव मार्क- A-4, B-4, C-4, S-4 तथा सफेद कपड़े की थैली में सिलड चिट शुदा मेमोरी कार्डस मार्क-M, M-1 मोबाईल मार्क P मूल पैनड्राईव (परिवादी द्वारा प्रस्तुत) S इत्यादी को मालखाना इन्चार्ज श्री प्रहलाद कुमार पारीक स.उ.नि. को सुपुर्द कर कार्यालय के मालखाना में सुरक्षित रखवाये। समय 04.20 पी.एम. पर परिवादी श्री राकेश कुमार व दोनो स्वतन्त्र गवाहान श्री ओम प्रकाश वर्मा व श्री गौरव कुमार चौहान को हिदायत कर रूखसत किया गया। उपरोक्त तथ्यो एवं परिस्थितियो एवं ट्रेप कार्यवाही से आरोपी डॉ पंकज छीपा, मेडीकल आफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पीटल भीलवाडा द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर राज्य सरकार की आयुष्मान योजना के अन्तर्गत श्री सिद्धि विनायक हॉस्पीटल भीलवाडा द्वारा आयुष्मान कार्ड धारको के ईलाज होने के पश्चात बिल भुगतान हेतु मुख्यमन्त्री आयुष्मान आरोग्य योजना के पोर्टल पर राज्य सरकार की वेबसाईट के पोर्टल पर अपलोड किये जाने पर हॉस्पीटल को बिलो का भुगतान National Insurance Agency Ltd के द्वारा किया जाता है। उक्त भुगतान बिलो के संबध में आरोपी डॉ पंकज छीपा ने परिवादी को फोन करके बताया की सिद्धि विनायक हॉस्पीटल द्वारा उक्त योजना के तहत राज्य सरकार को भेजे गये बिलो में भारी अनियमितताये पायी गई है। जिस कारण अस्पताल पर भारी जुर्माना लगाया जा रहा है और अस्पताल को उक्त योजना से Depannel किया जा रहा है व बिलो का भुगतान नहीं हो पायेगा और अस्पताल पर पैनल्टी लगेगी, इससे बचना चाहते है तो तुरन्त मुझसे आकर मिले व पैसे देकर Sattle कर दें। जिस पर परिवादी ने दिनांक 14.12.2025 को आरोपी से मिला तो आरोपी डॉ पंकज छीपा ने बताया कि तुम्हारे हॉस्पीटल पर मुख्यमन्त्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत पोर्टल पर अपलोड किये गये बिलों में भारी अनियमितता है। अनियमितता के संबध मे जुर्माना लगाया जा रहा है। जो करीबन 75 लाख रुपये का होगा व बिलो का भुगतान भी नहीं होगा व अस्पताल को Depannel कर दिया जायेगा तथा आरोपी डॉ पंकज छीपा ने बताया कि आपके अस्पताल मे बिल संबधी अनियमितताये पायी गई है। यदि आप मुझे व डॉ कुलदीप मेरा साथी है। जो HITPA में DMO (District Medical Officer) के पद पर कार्यरत है। उनको 14.00 लाख रुपये बतौर रिश्त देते है तो हम दोनो आपके हॉस्पीटल की पैनल्टी पूरी तरह माफ कर देगे व बिलो का भुगतान भी अनियमितताये दूर कर कर दिया जायेगा फिर द्वारा परिवादी द्वारा आरोपी डॉ पंकज छीपा से मोबाईल पर वार्ता करता है तो आरोपी 11.00 लाख रुपये रिश्त राशि लेने की सहमति जाहिर की। जिसका आज दिनांक 15.12.2025 को परिवादी को आरोपी डॉ पंकज छीपा के पास भेजकर गिनमानुसार रिश्त राशि मांग का सत्यापन करवाया गया तो आरोपी द्वारा 9.50 लाख रुपये डॉ कुलदीप के लिये एवं 1.50 लाख रुपये स्वयं के लिए रिश्त की मांग की गई व मांग के अनुसरण में आरोपी डॉ पंकज छीपा को 2.00 लाख भारतीय चलन मुद्रा के असल नोट एवं 9.00 लाख के डमी नोट की रिश्त राशि कुल 11.00 लाख रुपये रिश्त राशि ग्रहण करना जुर्म धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस का अपराध का प्रमाणित पाया जाने से जरिये फर्द गिरफ्तार किया गया तथा रूपोश आरोपी डॉ कुलदीप सरकार के राजकीय उपक्रम के अधीन कार्यरत कर्मचारी होकर लोकसेवक की श्रेणी में होना प्रथम दृष्टिया पाया गया है तथा गिरफ्तार आरोपी द्वारा स्वयं के लिए व रूपोश अपराधी डॉ कुलदीप के लिए बरामदशुदा रिश्त राशि मांग कर ग्रहण की है। जिसमें 9.50 लाख का हिस्सा डॉ कुलदीप के लिए लेना बताया है। यह बात मांग सत्यापन वार्ता से भी प्रमाणित है। जिस आधार पर रूपोश आरोपी डॉ कुलदीप विश्वोई पुत्र श्री रामरघुनाथ विश्वोई उम्र 25 साल निवासी आर.टी.

ओ. ऑफिस के पीछे, मेडता जिला नागौर हाल DMO (District Medical Officer) HITPA jaipur के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस का अपराध का प्रमाणित पाया जाता है। अतः 1. आरोपी डॉ पंकज छीपा पुत्र श्री गोवर्धन लाल छीपा उम्र 30 साल निवासी अमेसर पुलिस थाना शम्भुगढ़, जिला भीलवाड़ा हाल निवास गायत्रीनगर, मालौला रोड भीलवाड़ा हाल मेडीकल ऑफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाड़ा 2. डॉ कुलदीप विश्वादी पुत्र श्री रामरघुनाथ विश्वादी उम्र 25 साल निवासी आर.टी.ओ. ऑफिस के पीछे, मेडता जिला नागौर हाल DMO (District Medical Officer) HITPA jaipur के विरुद्ध बिना नंबरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीय (नरपत सिंह चारण) पुलिस निरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो भीलवाड़ा-द्वितीय.....कार्यवाही पुलिस.....प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री नरपत सिंह चारण, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से पूर्व अन्तर्गत धारा 7, 7ए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) व 61(2) बी.एन.एस 2022 में आगे की गण 1- डॉ पंकज छीपा पुत्र श्री गोवर्धन लाल छीपा उम्र 30 साल निवासी अमेसर पुलिस थाना शम्भुगढ़, जिला भीलवाड़ा हाल निवास गायत्रीनगर, मालौला रोड भीलवाड़ा हाल मेडीकल ऑफिसर, केशव पोरवाल हॉस्पिटल भीलवाड़ा एवं 2- डॉ कुलदीप विश्वादी पुत्र श्री रामरघुनाथ विश्वादी उम्र 25 साल निवासी आर.टी.ओ. ऑफिस के पीछे, मेडता जिला नागौर हाल DMO (District Medical Officer) HITPA Jaipur के विरुद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ निम्नानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री झाबरमल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, टोंक को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 302 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1885-88 दिनांक 19.12.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1- विशिष्ट न्यायाधीश एवं सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, भीलवाड़ा 2- शासन उप सचिव, कार्मिक (क-3/शिकायत) विभाग, राजस्थान, जयपुर 3- पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, भीलवाड़ा-द्वितीय । पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.

(की गई कार्यवाही: चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख द्वारा के तहत है):

(1) Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):

or (या)

(2) Directed (Name of I.O.): JHABAR MAL Rank अपर पुलिस अधीक्षक
(जाँच अधिकारी का नाम): Y. RAU (पद):
No(सं.): to take up the investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) Refused investigation due to
(जाँच के लिए):

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) Transferred to P.S.(थाना): District (जिला):

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति नि:शुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. Signature/Thumb impression of the complainant / informant
(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan, India
Date: 12/02/2025 11:00:09

15. Date and time of dispatch to the court
(अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore
Rank (पद): SP (Superintendant of Police)
No(सं.):

Attachment to Item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण : (यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1995				
2	Male	2000				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनाना)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place(s) (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (दो-प्या)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है।)